ग. होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक

घ. उभयलिंगी हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी उभयलिंगी प्रमाण-पत्र

इनके साथ-साथ शेष अन्य सभी वांछित दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे.

iv. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय कर्मचारी है उन्हे आवेदन भरने की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व से देनी होगी। कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी.

v. शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें.

vi. नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिये जायेंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा. इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश व्दारा उपस्थित होने की तिथि से पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए.

vii. म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग के परिपत्र क्र.एफ-2(अ)/541/92/ब(4)/दो/भोपाल दिनांक 04.04.1995 के व्दारा नि:शक्तजनों से पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है।

viii. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2023, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
02	भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel –Exservicemen – other ranks) को
03	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी
04	अतिशेष कर्मचारियों को
05	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
06	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
07	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र
08	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -

"उपरोक्त वर्गो के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जायेंगे।"

(4) पद का वेतनमान-:

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1.	आरक्षक (जीडी)	19500-62000